

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/ पौष 5, 1935

No. 616]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

सं. 17 /2013-सेवा कर

सा.का.नि. 792 (अ) – वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2013-सेवाकर, दिनांक 18 अप्रैल, 2013, जिसे सा.का.नि. 254 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, शर्त(क) में-

(क) पहले परंतुक में, क्रम संख्या (xv) और उसके संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जायेगा, नामशः :-

“(xvi) मांस और मांस उत्पादों का निर्यात;

(xvii) कपास का निर्यात;

(xviii) काटन यार्न का निर्यात;

(xix) निर्यात, जो कि न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन है:”;

(ख) दूसरे परंतुक में, क्रम संख्या (xvii) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जायेगा, नामशः :-

“(xviii) कपास (विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.14.5 के लिए);

(xix) काटन यार्न (विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.14.5 के लिए);

(xx) निर्यात, जो कि न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन है (विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.14.5 के लिए);”

[फा.सं. 605/10/2013-डीबीके]

संजय कुमार, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 6/2013-सेवाकर, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. 254 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 11/2013-सेवा कर, दिनांक 13 जून, 2013 सा.का.नि. 373 (अ), दिनांक 13 जून, 2013 के द्वारा संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2013

No. 17 /2013-Service Tax

G.S.R. 792(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2013-Service Tax, dated the 18th April, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, subsection(i), vide number G.S.R. 254 (E), dated 18th April, 2013, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in condition (a),—

- (a) in the first proviso, after serial number (xv) and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely,—
 - “(xvi) Export of Meat and Meat Products;
 - (xvii) Export of Cotton;
 - (xviii) Export of Cotton Yarn;
 - (xix) Export which are subject to Minimum Export Price or Export Duty;”;
- (b) in the second proviso, after serial number (xvii) and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely,—
 - “(xviii) Cotton (for the paragraph 3.14.5 of the Foreign Trade Policy);
 - (xix) Cotton Yarn (for the paragraph 3.14.5 of the Foreign Trade Policy);
 - (xx) Export which are subject to Minimum Export Price or Export Duty (for the paragraph 3.14.5 of the Foreign Trade Policy);”.

[F.No. 605/10/2013-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note: The Principal notification number 6/2013-Service Tax, dated 18th April, 2013 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 254(E), dated the 18th April, 2013 and was last amended by notification no. 11/2013 –Service Tax dated the 13th June, 2013 vide number G.S.R. 373 (E), dated the 13th June, 2013.